

एस डी ओ/रीडर

1977

6/8

पत्रावली केंद्र कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली में
दिनांक 7.2.17 से तात्काल जाची नहीं करवाई गई।
उपरोक्त डायरी प्रकरण में पूर्व में दिनांक 9.6.16
को निर्णय किया जा चुका है। उपरोक्त प्रकरण
का खारिज किया जा रहा है। पत्रावली केंद्र को
अनुभव होकर कर्मचारी से एक ही तरह का पत्र
निकाला है।